

# उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुपूरक कार्य-सूची

मंगलवार, 15 अग्रहायण, शक संवत् 1944

(06 दिसम्बर, 2022 ई०)

XXXX

XXXX

XXXX

37 (1) निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना:-

प्रस्तावक का नाम

संकल्प

श्री उमाशंकर सिंह,

यह

सदन

इण्टरमीडिएट

श्री लाल जी वर्मा,

शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 का

श्रीमती आराधना मिश्रा,

अननुमोदन करता है।

श्री वीरेन्द्र चौधरी।

37 (2) माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यह प्रस्ताव करेंगे कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।

37 (3) माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यह प्रस्ताव करेंगे कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

37 (4) पर्यटन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

श्री उमाशंकर सिंह।

उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

37 (5) पर्यटन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

37 (6) निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना:-

प्रस्तावक का नाम

संकल्प

श्रीमती आराधना मिश्रा,

यह सदन उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत

श्री वीरेन्द्र चौधरी।

तथा जिला पंचायत (संशोधन)

अध्यादेश, 2022 का अननुमोदन करता है।

- 37 (7) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।
- 37 (8) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाय।
- 37 (9) निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना:-

प्रस्तावक का नाम

संकल्प

उमाशंकर सिंह,  
श्री लाल जी वर्मा।

यह सदन उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 का अननुमोदन करता है।

- 37 (10) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।
- 37 (11) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 पारित किया जाय।
- 37 (12) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

श्री उमाशंकर सिंह।

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

- 37 (13) मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

XXX


XXX

XXX

लखनऊ:

दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 ई०

आज्ञा से,



(प्रदीप कुमार दुबे)

प्रमुख सचिव।

\*\*\*\*\*